



**International Journal of Research in Economics and Social  
Sciences(IJRESS)**

Available online at: <http://euroasiapub.org>

Vol. 9 Issue 3, March- 2019

ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

**RESEARCHERID**



THOMSON REUTERS

# लिंग समानता: महिला सशक्तिकरण

डॉ० विक्रम सिंह औलख

सह आचार्य, शिक्षा विभाग

श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय

पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़

---

**International Journal of Research in Economics and Social Science (IJRESS)**

Email:- [editorijrim@gmail.com](mailto:editorijrim@gmail.com), <http://www.euroasiapub.org>

(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)



## सार

लैंगिक समानता एक मानव अधिकार है जो सभी व्यक्तियों को उनके लिंग की परवाह किए बिना सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। लैंगिक समानता भी सर्वांगीण विकास और गरीबी को कम करने के लिए एक पूर्व शर्त है। अधिकार महिलाएं स्वास्थ्य की स्थिति और शैक्षिक स्थिति और पूरे परिवार की उत्पादकता में सुधार के लिए अमूल्य योगदान देती हैं और समुदाय, जो बदले में अगली पीढ़ी के लिए संभावनाओं में सुधार करते हैं। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पर भी जोर दिया गया है लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण मौलिक हैं विकास के परिणाम प्राप्त करने के लिए आधारशिला। इस पत्र में भारत में महिला सशक्तिकरण और उसके निर्धारकों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में मौजूद असमानताओं के कुछ प्रमुख निर्धारकों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है ताकि यह अंदाजा लगाया जा सके कि किस हद तक महिलाओं को सशक्त किया जाता है।



## परिचय

लैंगिक समानता तभी हासिल होगी जब महिला और पुरुष आनंद लेंगे जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अवसर, अधिकार और दायित्व। इसका अर्थ है समान रूप से साझा करना, शक्ति और बढ़ाना, और समान होना आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में अवसर। पर समान दावा शिक्षा और करियर की संभावनाएं महिलाओं को अपना एहसास कराने में सक्षम बनाएगी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं। लैंगिक समानता सशक्तिकरण की मांग करती है महिलाओं की शक्ति की पहचान और निवारण पर ध्यान देने के साथ असंतुलन और महिलाओं को उनके प्रबंधन के लिए अधिक स्वायत्तता देना खुद का जीवन। जब महिला सशक्त होती है, तो पूरा परिवार लाभान्वित होता है, इस प्रकार समग्र रूप से समाज को लाभ होता है और ये लाभ अक्सर होते हैं आने वाली पीढ़ियों पर एक लहर प्रभाव।

जनगणना –11 की रिपोर्ट है कि 1951 में 301 मिलियन की तुलना में भारत 1210 मिलियन तक पहुंच गया, उनमें से 58,64,69,174 महिलाएं (48.5 प्रतिशत) थीं। भारत ने ग्रह की कुल आबादी का 17.5: हिस्सा बनाया और दूसरे स्थान पर कब्जा कर लिया। १९७१ में, लिंग अनुपात ९३० था और २०११ में यह अनुपात बढ़कर ९४० हो गया। महिला साक्षरता भी १९६१ में १८.३: से बढ़कर २०११ में ७४.०: हो गई और पुरुषों और महिलाओं के बीच साक्षरता अंतर में १९८१ में २६.६: से घटकर १६.७ हो गया। 2011 में:। भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण भौगोलिक स्थिति (ग्रामीण & शहरी), शिक्षा की स्थिति, सामाजिक स्थिति (जाति और वर्ग) और उम्र सहित कई अलग-अलग चर पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय, राज्य और नगरपालिका स्तरों पर स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवसर, यौन हिंसा और राजनीतिक जुड़ाव सहित कई क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण नीतियां मौजूद हैं। महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक शक्तियों को बढ़ावा देने और समानता सुनिश्चित करने की पहल ने शुरू की गई योजनाओं के दायरे और कवरेज का विस्तार किया है। निम्नलिखित योजनाएं वर्तमान में भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करती हैं:

1. एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) (1975)
2. किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (आरजीएसईएजी) (2010)
3. बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह योजना कामकाजी माताएँ।



4. एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) (2009–10)
5. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता (कदम)
6. धनलक्ष्मी (2008)
7. शॉर्ट स्टे होम्स
8. स्वाधारी
9. उज्जवला (2007)
10. जेंडर बजटिंग योजना (गृ योजना)
11. राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन
12. राष्ट्रीय महिला कोष (1993) : 3 :

उपरोक्त सभी योजनाओं और कार्यक्रमों के उत्कृष्ट निष्पादन के बावजूद, नीतिगत सफलताओं और वास्तविक सामुदायिक अभ्यास के बीच काफी अंतर है। 2016 के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ने अपनी महिलाओं के लिए भारत के अपर्याप्त काम को नोट किया। 2012 में देश की रैंकिंग 105 देशों (135 में से) से गिरकर 144 से 87 हो गई।

## वर्तमान अध्ययन के उद्देश्य।

इस शोध पत्र के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

1. लड़कियों और लड़कों के बीच समानता के स्तर को समझने के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा।
2. आर्थिक भागीदारी और अवसर में लैंगिक समानता और महिलाओं की हिस्सेदारी जानने के लिए
3. लैंगिक समानता और संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच की पहचान करना



4. राजनीतिक क्षेत्र में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की जांच करना।

## अनुसंधान क्रियाविधि।

वर्तमान अध्ययन के उद्देश्य के लिए डेटा कंजं से एकत्र किया गया है द्वितीय स्रोत। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट, आदि और विभिन्न अन्य प्रकाशनों की रिपोर्ट और दस्तावेजों सहित पत्रिकाओं से एकत्र किया जाता है।

## परिणाम और निष्कर्ष

### 1. प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा में लैंगिक समानता शिक्षा

लैंगिक समानता और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने में एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण पहलू शिक्षा है। प्राथमिक विद्यालय में लड़कियों का नामांकन, उत्तरजीविता, और शिक्षा के उच्च स्तर तक प्रगति सभी शिक्षा में लैंगिक समानता स्थापित करने में योगदान करते हैं। कुछ प्रमुख संकेतक बताते हैं कि 2010–11 और 2014–15 के बीच शिक्षा में लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

- लिंग समानता सूचकांक

प्रत्येक स्तर में नामांकित पुरुष छात्रों की संख्या के लिए शिक्षा के बुनियादी, मध्यवर्ती और तृतीयक स्तरों में नामांकित छात्र इस प्रकार, जीपीआई (जीईआर पर आधारित) शिक्षा में लैंगिक समानता की एक तस्वीर प्रस्तुत करता है जो उपयुक्त आयु वर्ग की जनसंख्या संरचना से अप्रभावित है। शिक्षा



में लैंगिक समानता की दिशा में 2010–11 और 2014–15 के बीच महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में देखा गया है।

### लिंग समानता सूचकांक

साल	प्राथमिक शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा	उच्च शिक्षा
2010–11	1.01	0.88	0.86
2011–12	1.01	0.93	0.88
2012–13	1.02	0.96	0.89
2013–14	1.03	1.0	0.92
2014–15	1.03	1.01	0.92

स्रोत: मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सरकार भारत की वेबसाइट

उपरोक्त तालिका के अनुसार, बुनियादी स्कूली शिक्षा में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है क्योंकि जीपीआई एक के स्तर को पार कर गया है। हाल के वर्षों में, माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तरों में भी लैंगिक समानता की दिशा में काफी प्रगति देखी गई है।

- लड़कियों का स्तरवार नामांकन

सूचक	शिक्षा का स्तर	2010–11	2014–15
कुल नामांकन के प्रतिशत के रूप में	प्राथमिक शिक्षा	47	48
	उच्च शिक्षा	47	59
	माध्यमिक शिक्षा	44	47



लड़कियों का नामांकन			
नामांकित प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या	प्राथमिक शिक्षा	92	93
	उच्च प्राथमिक शिक्षा	89	95
	माध्यमिक शिक्षा	82	90
	वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा	79	89
	उच्च शिक्षा	77	84

स्रोत: शैक्षिक सांख्यिकी एक नजर में 2014, मानव संसाधन मंत्रालय

नामांकित प्रति 100 लड़कों पर लड़कियों की संख्या के संदर्भ में साक्षरता दर दर्शाती है कि 2010–11 से 2014–15 तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण प्रगति की पहचान की गई है। अध्ययन अवधि के दौरान उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में 8 से 10: की वृद्धि देखी गई।

## 2. आर्थिक भागीदारी में लैंगिक समानता और महिलाओं की हिस्सेदारी और अवसर

महिलाओं की श्रम शक्ति की भागीदारी को घटते भेदभाव और महिला सशक्तिकरण में वृद्धि के संकेतक के रूप में देखा जाता है। यह माना जाता है कि कार्यबल का नारीकरण समाज में महिलाओं के लिए बेहतर संभावनाओं और स्थिति का भी संकेत है।

रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी उस डिग्री को मापती है जिस तक उद्योग और सेवा क्षेत्रों में श्रम बाजार महिलाओं के लिए खुले हैं, जो न केवल महिलाओं के लिए समान रोजगार के अवसर को प्रभावित करता है बल्कि श्रम बाजार लचीलेपन के माध्यम से आर्थिक दक्षता को भी प्रभावित करता है और महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण में आर्थिक कारकों पर प्रतिक्रिया करता है।



साल	श्रम बल भागीदारी दर	नियमित वेतन और वेतनभोगी कर्मचारियों का हिस्सा
2010–11	42.0	8.2
2011–12	42.7	8.4
2012–13	32.6	10.2
2013–14	31.2	12.8
2014–15	31.1	12.1

स्रोत: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण –4

महिलाओं की श्रम शक्ति की भागीदारी कम है, और एक महत्वपूर्ण लिंग अंतर मौजूद है। इसके अलावा, जब महिलाएं काम करती हैं, तो उनके कम वेतन वाली नौकरियों में काम करने की संभावना अधिक होती है। हाल के वर्षों में सबसे गर्म चर्चाओं में से एक भारत की महिलाओं के लिए श्रम बल की भागीदारी दर में गिरावट पर केंद्रित है, जो 2010–11 और 2014–15 के बीच 42.7 प्रतिशत से गिरकर 31.1 प्रतिशत हो गई है। शोध अवधि के दौरान, नियमित वेतन और वेतनभोगी श्रमिकों की महिला हिस्सेदारी 8.4 प्रतिशत से बढ़कर 12.1 प्रतिशत हो गई।

### गतिशीलता और निर्णय लेना।

शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के अलावा, महिलाओं की गतिशीलता और सामाजिक संपर्क में बदलाव के साथ-साथ निर्णय लेने में भागीदारी भी आवश्यक है। एनएसएस के 68वें दौर के अनुमान (2011–2012) के अनुसार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला प्रधान परिवारों की हिस्सेदारी क्रमशः 11.5 प्रतिशत और 12.4 प्रतिशत थी। आज, भारतीय महिलाओं की एक छोटी सी अल्पसंख्यक को ही घर के फैसले लेने, परिवार और रिश्तेदारों से संपर्क करने और घर छोड़ने की आजादी है। इसके अलावा, अधिकांश भारतीय संस्कृतियों में, महिलाओं के पास यह चुनने का विकल्प नहीं है





कि उनके कितने बच्चे होंगे। इसके अलावा, एक महिला को अपने पति या पत्नी की मजदूरी या यहां तक कि अपनी खुद की कमाई खर्च करने की स्वतंत्रता नहीं है, जैसा कि वह फिट देखती है।

### **सामाजिक और में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण राजनीतिक।**

सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं को अधिक प्रतिनिधिक बनाने के लिए सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की अधिक भागीदारी की आवश्यकता है। यह महिला सशक्तिकरण का एक उपकरण है और लिंग-संवेदनशील निर्णय लेने में योगदान देता है। राजनीतिक जुड़ाव के मामले में, भारत की लोकसभा (निचला सदन), राज्य सभा (उच्च सदन) और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। 2014 के आम चुनाव में, 62 महिलाएं चुनी गईं, जो लोकसभा के केवल 11.4 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि केवल 11.9 प्रतिशत राज्यसभा सदस्य महिलाएं हैं। इसी तरह, राज्य विधानसभा और राज्य परिषदों में महिलाओं की भागीदारी निंदनीय है। 1 अगस्त 2014 तक, राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के पास औसतन केवल 8: और राज्य परिषदों में 4: सीटें थीं। हालांकि, चूंकि सभी पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) सीटों में से एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, इसलिए 1 मार्च 2013 तक पीआरआई में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़कर 46.7 प्रतिशत हो गया है। 1 अप्रैल 2014 तक, केवल 2 महिलाएं थीं।, सुप्रीम कोर्ट के 30 जजों में से जज, और विभिन्न हाई कोर्ट में 609 जजों में से सिर्फ 58 महिला जज, दिल्ली हाई कोर्ट में अधिकतम 25: और 6 हाई कोर्ट में कोई महिला जज नहीं (महिला और पुरुष) भारत, 2014)।

### **लैंगिक समानता और संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच।**

महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए संसाधनों तक पहुंच महत्वपूर्ण है क्योंकि आंदोलन की स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है, यह शक्ति का संचार भी करती है और एजेंसी का विस्तार करती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -3 ने आर्थिक स्वतंत्रता के संकेतक के रूप में पांच महत्वपूर्ण चर की पहचान की: ऋण कार्यक्रमों का ज्ञान, ऋण प्राप्ति, बैंक खाता होना, उच्च शिक्षा प्राप्त करना और घर से बाहर काम करना।

### **महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए जाने वाले मुद्दे और लैंगिक समानता।**



पिछली चर्चा दर्शाती है कि भारत में महिलाओं को सामाजिक भागीदारी, आर्थिक अवसर और भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी, शिक्षा तक पहुंच और संसाधनों तक पहुंच सहित समाज के हर स्तर पर भेदभाव और हाशिए पर जाने का सामना करना पड़ता है। भारत में अधिकांश महिलाएं गरीब, अशिक्षित और कम प्रशिक्षित हैं। वे अक्सर एक बीमार परिवार के प्रबंधन की रोजमर्रा की लड़ाई में खुद को हवा देते हैं और खुद को दमनकारी और प्रतिगामी सामाजिक आर्थिक स्थितियों से बाहर निकालने में असमर्थ होते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि भारत में महिला सशक्तिकरण के नाम पर बहुत सारी चीजें हो रही हैं और बहुत सारा पैसा खर्च किया जा रहा है, वास्तविक स्थिति वही रहती है और कई मामलों में बिगड़ जाती है। गहरे बैठे प्रणालीगत मुद्दों को अभी भी संबोधित किया जाना चाहिए। महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए भारत में कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं जिनका समाधान किया जाना चाहिए।

- स्कूल तक पहुंच और शैक्षिक प्राप्ति में लैंगिक असमानताओं को दूर करना, लैंगिक समानता प्राप्त करने और महिला सशक्तिकरण को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। शिक्षा, विशेष रूप से महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा, जनसांख्यिकीय परिवर्तन, परिवार कल्याण, और महिलाओं और उनके परिवारों के लिए बेहतर स्वास्थ्य और पोषण का एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक है। लिंग-संवेदनशील शैक्षिक प्रणाली के निर्माण, लड़कियों के नामांकन और प्रतिधारण दर को बढ़ावा देने और जीवन भर सीखने और महिलाओं द्वारा व्यवसायध्व्यवसायधत्कनीकी कौशल के विकास की सुविधा के लिए शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेष उपायों को लागू किया जाना चाहिए।
- बाल विवाह, जो दुर्भाग्य से हमारे समाज में आम है, को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। यह इस तथ्य के कारण है कि कम उम्र में शादी करने वाली महिलाएं उनकी खराब सामाजिक स्थिति को दर्शाती हैं और शिक्षा तक उनकी पहुंच को भी सीमित करती हैं।
- समानता की बाधाओं का सामना करने के लिए एक महिला को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। महिलाओं को व्यापक, किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच होनी चाहिए।



- कृषि क्षेत्र में महिला श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए कृषि और अन्य संबद्ध व्यवसायों में महिलाओं के प्रशिक्षण के कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए।
- रोजगार, विशेष रूप से औपचारिक क्षेत्र में और वेतन के लिए, वित्तीय स्वतंत्रता को सक्षम करके महिलाओं को सशक्त बना सकता है।
- समाज में उनकी स्थिति को बढ़ाने के लिए महिलाओं का वेतन और काम करने की स्थिति पुरुषों के बराबर होनी चाहिए।
- समाज से नारी हिंसा को दूर करना होगा।
- सख्त नियमों और कानूनों के अलावा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने का एकमात्र तरीका परिवार, समाज और समाज की महिला सदस्यों में मानसिकता में बदलाव लाना है। जेंडर संवेदीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आवश्यक हैं।
- महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को लंबे समय से महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता रहा है। भारत में, महिलाओं का विधायिका में बहुत कम प्रतिनिधित्व है। नतीजतन, लोकसभा, राज्य सभा, राज्य विधानसभाओं और राज्य परिषदों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
- इसके अलावा, महिला सशक्तिकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक महिलाएं एक साथ नहीं आतीं और खुद को सशक्त बनाने का फैसला नहीं करतीं। महिलाओं को एकता की शक्ति के रूप में एकजुट होना चाहिए और जमीनी स्तर पर आत्म-सशक्तिकरण के उपाय करने चाहिए।



## निष्कर्ष

उनकी भागीदारी और सशक्तिकरण के अभाव में तीव्र आर्थिक विकास असंभव है। वास्तव में समावेशी आर्थिक सफलता के लिए महिला सशक्तिकरण आवश्यक है। यह हमारे देश और ग्रह के दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। फिर भी, कई महिलाओं को अपने जीवन के लिए मूल्य निर्णय लेने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं है। अध्ययन ने आर्थिक संसाधनों या भौतिक संपदा से परे सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभावों को देखने के महत्व को भी रेखांकित किया, जो महिलाओं की स्वायत्तता और सशक्तिकरण को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सरकार के अलावा, नागरिक समाज संगठनों और अन्य सभी हितधारकों को महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में आगे आना चाहिए और संलग्न होना चाहिए।



## संदर्भ

1. डॉ मनोज वर्गीज, सौरभ गुहा, अनुराग अग्रवाल (2016), 2016 में महिला सशक्तिकरण का परिदृश्य: भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापार में इसकी भूमिका, इंजीनियरिंग और अनुसंधान में हालिया रुझानों के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, खंड 02, अंक 11।
2. नेहा एलिजाबेथ (2015) "भारतीय अर्थव्यवस्था के विशेष संदर्भ में शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना।" प्रबंधन और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल वॉल्यूम। 5, नंबर 1
3. मुक्ताजुर रहमान काजी (2015) "समावेशी विकास के संदर्भ में भारत में महिलाओं की स्थिति।" आईओएसआर जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस (आईओएसआर-जेएचएसएस) खंड 20, अंक 4।
4. डॉ. बी. नागराजा (2013) भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के आईओएसआर जर्नल, खंड 9, अंक 2
5. विल्सन, पी. (1996) एम्पावरमेंट: इनसाइड आउट से सामुदायिक आर्थिक विकास। शहरी अध्ययन, ३३(४-५), ६१७-६३०।
6. मल्होत्रा अंजू, सिडनी रूथ शूलर और कैरल बोएन्डर (2002) अंतर्राष्ट्रीय विकास में एक चर के रूप में महिला सशक्तिकरण को मापते हुए, विश्व बैंक सामाजिक विकास समूह।
7. भारत सरकार, मानव विकास रिपोर्ट (2016)।
8. सुनीता किशोर और कमला गुप्ता (2009) भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण।



**International Journal of Research in Economics and Social  
Sciences(IJRESS)**

Available online at: <http://euroasiapub.org>

Vol. 9 Issue 3, March- 2019

ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

**RESEARCHERID**



THOMSON REUTERS

9. भारत सरकार राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (4), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।